न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 238/2021
3. उनवान : सरकार जरिये सत्यवीर सिंह शिशोशिया, प्रवर्तन प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

मैसर्स प्रेम दाल मिल्स एण्ड फ्लोर मिल्स, रामलला जी का रास्ता, चौकडी विमेश्वर जी जयपुर फर्म राधा बल्लभ पुत्र श्री राम गोपाल जी राम लाल जी का रास्ता जौहरी बाजार, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 30/01/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर सत्यवीर सिंह शिशोदिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 25–12–1983 को व्यापारिक वस्तुओं के undecleared रखे जाने के शिकायत पर प्रेम दाल मिल्स एण्ड फ्लोर मिल्स पर पंहुचकर निरीक्षण किया गया। फर्म के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 21/12/1983 तक की प्रविष्टि करी हुयी थी। दिनांक 21/12/1983 से 25/12/1983 तक की कोई प्रविष्टि नहीं की गयी थी। जबकि 22/12/1983 को फर्म द्वारा 100.300 किग्रा. बेसन की बिक्री की गयी थी एवं 20/12/1983 को 22 बोरी चना प्राप्त होने के बाद कोई सामान की आवक नहीं हुई। स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 10.21 क्विं. गेहूं कम, 4.72.100 क्विं. जौ कम, उडद 7.99.700 क्विं. कम, मूंग 12.21.600 क्विं. अधिक, चना के स्टॉक भी स्टॉक रजिस्टर के अनुसार काफी कम पाया गया, चौला 25.78.300 क्विं. कम व राजमा चित्तीदार 21 क्विं. undecleared पाया गया। ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन में स्टॉक रजिस्टर से अधिक पाये गये मूंग 12.21.600 क्विं. व undecleared 21 क्विं. राजमा चित्तीदार को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने एवं कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से पूर्व में दिनांक 24.09.1984 को अधिवक्ता श्री के.डी.शर्मा ने व दिनांक 02.11.1995 को अधिवक्ता श्री नमन जोशी ने उपस्थिति दी थी। प्रकरण में दिनांक 22.03.1996 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर प्रथम, जयपुर ने निर्णय पारित कर जब्त माल को राजसात करने का आदेश दिया। उक्त आदेश की अपील में दिनांक 20.06.2000 को माननीय न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–9, जयपुर नगर, जयपुर ने अपीलार्थी की अपील आंशिक रुप से स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.1996 को अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर, प्रकरण सभी कानूनी विनिश्चयों की रोशनी में सम्पूर्ण आवश्यक जांच की जाकर पुनः निर्णय एवं आदेश कानून के प्रावधानों के अनुसार पारित करने का आदेश दिया। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। तत्पश्चात पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि लम्बे समय से पत्रावली लम्बित है। अतः पत्रावली को और लम्बित रखा जाना उचित नहीं समझते। एकतरफा बहस सुनी गयी। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 30/01/2025 को आदेश हेतु रखी गई।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हमने माननीय न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–9, जयपुर नगर, जयपुर के निर्णय दिनांक 20/06/2000 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 25–12–1983 को स्टॉक रजिस्टर से अधिक पाये गये मूंग 12.21.600 क्विं. व undecleared 21 क्विं. राजमा चित्तीदार को जब्त किया गया। माननीय न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–9, जयपुर नगर, जयपुर ने अपीलार्थी की अपील आंशिक रुप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया था। जिसके उपरान्त प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब पेश किया। दौराने निरीक्षण फर्म के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 21/12/1983 तक की प्रविष्टि करी हुयी थी। दिनांक 21/12/1983 से 25/12/1983 तक की कोई प्रविष्टि नहीं की गयी थी। जबकि 22/12/1983 को फर्म द्वारा 100.300 किग्रा. बेसन की बिक्री की गयी थी एवं 20/12/1983 22 बोरी चना प्राप्त होने के बाद कोई सामान की आवक नहीं हुई। स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 10.21 क्विं. गेहूं कम, 4.72.100 क्विं. जौ कम, उडद 7.99.700 क्विं. कम, मूंग 12.21.600 क्विं. अधिक, चना के स्टॉक भी स्टॉक रजिस्टर के अनुसार काफी कम पाया गया, चौला 25.78.300 क्विं. कम व राजमा चित्तीदार 21 क्विं. undecleared पाया गया। इस प्रकार उक्त सामानों का स्टॉक रजिस्टर से कम और अधिक पाया जाना अवैध क्रय–विक्रय को दर्शाता है। उक्त परिस्थिति में भौतिक सत्यापन में स्टॉक रजिस्टर से अधिक पाये गये मूंग 12.21.600 क्विं. व undecleared 21 क्विं. राजमा चित्तीदार को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने एवं कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में जब्त किया। पूर्व में अप्रार्थी ने उक्त राजमा को 24.12.1983 को दलने हेतु प्राप्त होना बताया और इस संबंध में दिनांक 04.06.1990 को संबंधित लोगों के शपथ पत्र भी पेश किये। जो बाद में परिस्थितिवश सोची समझी हुयी कार्यवाही है। यदि जब्त राजमा का संबंध शपथ पत्र प्रस्तुतकर्ताओं से था तो शपथ पत्र नोटिस के जवाब के साथ 24.09.84 को ही प्रस्तुत कर दिये गये होते। जो कि संदेहास्पद है। पूर्व में अप्रार्थी ने अधिक पाये गये मूंग को दिनांक 24.12.83 को मैसर्स राजकुमार इन्दरमल से क्रेडिट मीमो नम्बर 142 से प्राप्त हुआ। जिसके संबंध में अप्रार्थी ने मौके पर व आज दिनांक तक क्रेडिट मीमो की प्रति पेश नहीं की। थानाधिकारी पुलिस थाना माणक चौक द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 12.02.2023 के अनुसार मुताबिक रिकार्ड कोई अभियोग दर्ज नहीं होना पाया गया। ऐसे स्थिति में भौतिक सत्यापन में स्टॉक रजिस्टर से अधिक पाये गये मूंग 12.21.600 क्विं. व undecleared 21 क्विं. राजमा चित्तीदार को राजसात किया जाता है। अतः जिला रसद अधिकारी, जयपुर प्रथम को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त जब्तशुदा सामग्री मूंग 12.21.600 क्विं. व undecleared 21 क्विं. राजमा चित्तीदार को विधिवत अन्तिम निस्तारण किया जावे तथा निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर